तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1037/2004/धौलपुर छोटी बनाम बसन्त कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ.एल.दवे, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री ओ.पी.भट्ट, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय
दिनांकः– 26–02–2021

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के तहत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–02–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय ने प्रतिवादीगण के आलोच्य प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमीश्नर को स्वीकार किया है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित निर्णय एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया।

प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 147/2002 बउनवान छोटी बनाम बसन्त कुमार की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादीगण ने मौका कमीश्नर नियुक्ति हेतु आवेदन पेश किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार किया। आवेदक ने मौका कमीश्नर का आवेदन पेश किया। जिसमें मौके के हालात परिवर्तित हो जाने का हवाला देते हुए कमीश्नर के माध्यम से मौके की भौतिक रिपोर्ट प्राप्त किए जाने की प्रार्थना की थी। इस क्रम में 2008 (15) आरबीजे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1037/2004/धौलपुर छोटी बनाम बसन्त कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पेज 101 गणेशलाल बनाम मु0 लाली बाई में बोर्ड द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया सुसंगत है, जो निम्नानुसार हैः– **"CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908 - Order 26 Rule 9 -** Commissioner can be appointed for knowing about construction on the disputed land but not for knowing about possession on the disputed land - In this case, during the pendency of suit, non-applicants moved an application that Commissioner may be appointed for knowing the actual position of construction on the disputed land. This application was dismissed by the trial court. The Board of Revenue accepted the revision petition and held that Commissioner may be appointed and his report may be called for knowing about the construction on the disputed land. This report will not be used for knowing possession on the disputed land. Revision petition accepted. उपरोक्त विधिक विनिश्चय के अनुसरण में उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर हम पाते है कि मौके की स्थिति का आंकलन बिना कमीश्नर नियुक्ति के सम्भव नहीं है। न्यायालय के लिए दोनों पक्ष समान है, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होना समीचीन है। अतः हमारी सुविचारित राय में आक्षेपित आदेश विधि सम्मत पाये जाने के कारण यथावत रखा जाना समीचीन है। निगरानी विधिक दृष्टि से मीमो में अंकित अभिवचन के आधार पर ही हमें स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। अतः हम इस निगरानी को सारहीन/बलहीन मानते हुए इसे निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन व बलहीन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1037/2004/धौलपुर छोटी बनाम बसन्त कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पायी जाने के कारण खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-02-2004 को यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय विचाराधीन वाद में आगामी विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1037/2004/धौलपुर छोटी बनाम बसन्त कुमार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए